...का पता : यूनिक ट्रेडर्स [illegible], जोधपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद 88,92ए आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 339/18

वादी

1. बाबूलाल उर्फ श्रीकिशन
   पुत्र हजारीराम उर्फ हजारीमल
   जाति—ब्राहमण तहसील लोहावट
   हाल—दामोदर कॉलोनी राम
   मौहल्ला महामंदिर, जोधपुर
2. ओमप्रकाश पुत्र प्रेमराज
3. बद्रीनारायण पुत्र प्रेमराज
4. राधेश्याम पुत्र प्रेमराज
   जाती—ब्राह्मण
   निवासी—लोहावट जाटावास
   तहसील लोहावट हाल—326 पेट्रोल
   पम्प के पीछे सूरसागर, जोधपुर
   जिला जोधपुर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र भैराराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल
   1/2 मेघराज पुत्र भंवरलाल
   1/3 धनराज पुत्र भंवरलाल
   1/4 राधेश्याम पुत्र भंवरलाल
   1/5 गोमती देवी पत्नी भंवरलाल

2 गवरी देवी पत्नी पुखराज

3 राजेन्द्र पुत्र पुखराज

4 गोविन्द पुत्र पुखराज

5 श्रवण कुमार पुत्र पुखराज जाति ब्राहमण
निवासी—लोहावट जाटावास तहसील
लोहावट

6 सोहनलाल पुत्र भैराराम जाति ब्राहमण
निवासी—लोहावट जाटावास
तहसील—लोहावट हाल निवासी —4 JT
मधुवन, बासनी जोधपुर

7 सायरबाई पुत्री भैराराम पत्नि रामाकिशन
जाति—ब्राहमण हाल निवासी गोकलजी की
प्याऊ, नयापुरा लालसागर जोधपुर

8 बायाबाई पुत्री भैराराम पत्नी कन्हैयालाल
जाति—ब्राहमण हाल निवासी—फूलबाग,
मण्डोर जोधपुर

9 लीलाबाई पुत्री भैराराम पत्नी स्व. चतुर्भुज
जाति ब्राहमण, हाल निवासी
फूलबाग,मण्डोर, जोधपुर

10 देवकिशन पुत्र शिवनाथ जाति ब्राहमण —
भेड़ा हाल निवासी —उच्च माध्यमिक
विद्यालय भदवासिया के सामने वाली
गली, जोधपुर

11 भंवरलाल पुत्र सांवलराम जाति ब्राहमण
निवासी आदर्श कॉलोनी,महामंदिर

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

12 ओमप्रकाश पुत्र नारायणलाल जाति –ब्राहमण निवासी दधिमति नगर,भदवासीया

13 सुगनी देवी पत्नी नारायणलाल

14 सुरेश पुत्र नारायणलाल जाति ब्राहमण, निवासी मदेरणा कॉलोनी

15 ओमशिव पुत्र नारायणलाल जाति ब्राहमण हाल–अशोक कॉलोनी

16 सशी पुत्री राधाकिशन

17 कान्ता पुत्री राधाकिशन

18 सरला पुत्री राधाकिशन

19 सरोज पुत्री राधाकिशन

20 सीमा पुत्री राधाकिशन

21 प्रेमा पुत्री राधाकिशन जाति–ब्राहमण निवासी दधिमति नगर, भदवासिया जोधपुर (राज.)

राजस्व वाद 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

01. वादीगण कि ओर से अधिवक्ता आर.एस.पातावत उपस्थित।

02. प्रतिवादी संख्या 11 ता 21 की ओर से अधिवक्ता हिराराम विश्नोई।

–: निर्णय :– दिनांक :- 27/5/19

वादीगण ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पीढियों से कदीमी पैतृक सहहिस्सेदारी की काश्त भूमि खेत खसरा नं. 145 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी–दोयम लगान 1.25 रूपये की ग्राम लोहावट विश्नावस तहसील लोहावट में आई हुई है, जो वक्त भू प्रबन्ध संवत् 2012 में परिवार के कर्ता खानदान भैराराम पुत्र हजारीराम के नाम पैमाइश होकर दर्ज अभिलेख की गई तथा भैराराम के देहान्त होने दिनांक 04.05.1986 के बाद दिनांक 22.12.2010 को भैराराम के पुत्र भंवरलाल, पुखराज, सोहनलाल एंव पुत्री सायरबाई के नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण सं. 1721 के दर्ज अभिलेख की गई तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण और प्रतिवादीगण की पीढी दर पीढी उत्तरोतर विरासत से पैतृक चली आ रही है संवत् 1999 में जोधपुर गवर्नमेन्ट का भू प्रबन्ध होने के समय वादग्रस्त भूमि वादी सं. 1 तथा प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 6 के पिता भैराराम और वादीगण सं. 2 ता 4 के पिता पेमा के नाम पैमाइश होकर खतौनी मौजा लोहावट विश्नोईवास में दर्ज की गई परन्तु द्वितीय भू प्रबन्ध होने संवत् 2012 के समय परिवार के कर्ता खानदान भैराराम पुत्र हजारीराम अकेले के नाम बिना किसी विधिक आधार बिना किसी न्यायालय आदेश तथा निर्णय के गलत तरीके से भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा पहले के भू प्रबन्ध की प्रविष्टि को बदलकर भैराराम पेमाराम एवं बाबूलाल उर्फ श्रीकिशन के नाम दर्ज अभिलेख कर दी गई जबकि वादग्रस्त भूमि पीढी दर पीढी वादीगण और प्रतिवादीगण की संयुक्त हिस्सेदारी की कब्जा काश्त में चली आ रही है संवत् 2012 में तीनों ही भाईयों का संयुक्त हिन्दु

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक ... फलोदी

Scanned by CamScanner

परिवार था और तीनों ही भाईयों को अपने पिता के देहान्त पर विरासत में बहिस्सा बराबर निहित हुआ है वादीगण संवत् 2012 में केवल मात्र भैराराम पुत्र हजारीराम के नाम की गलत हुई भू प्रबन्ध की प्रविष्टि को अपने खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन करार घोषित करवाने और वादी सं. 1 अपने 1/3 हिस्सा तथा वादीगण सं. 2 ता 4 अपने पिता पेमा पुत्र हजारीराम से विरासत में प्राप्त 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें के हकदार है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के सम्मन तामिल शुदा लौटे लेकिन न्यायालय में उपस्थित नही होने कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लोई गई। प्रतिवादी संख्या 01 के फौत होने कि जानकारी मिली। पेशी दिनांक 08.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने कि स्वीकृति प्रदान कि गई । प्रतिवादी संख्या 11 ता 21 की ओर से वकील हिराराम विश्नोई ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। पेशी दिनांक 11.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 11 ता 21 का जवाब दावा एवं काउण्टर क्लैम पेश किया। जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

खेत ख.न. 145 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा की खातेदारी भैरा, पेमा, बाबू पिता हजारी गणेश पुत्र मोती दायमा ब्राह्मण गांव लोहावट विनावास में नाम पटटा बापी दिनांक 21.02. 19943 व खतौनी जोधपुर गवर्नमेन्ट समत्1999 में दर्ज है। वादीगण व प्रतवादीगण संख्या 01 ता 10 का इसमें 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 21 का इसमें 1/2 हिस्सा है। सम्वत् 1999 खतौनी भैराराम, पेमा, बाबू पिसरान हजारी 1/2 हिस्सा व गणेश पुत्र मोती 1/2 हिस्सा के नाम जारी किया गया था जिसकी नकल दावा में पेश है। वादी सं. 1 ता 10 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 11 ता 21 का 1/2 हिस्सा है व इसी प्रकार रेकर्ड दुरूस्त करवाने के हकदार है। वादग्रस्त भूमि ख.न. 145 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा में वादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा वादीगण सं. 02 ता 04 का 1/6, हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 10 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 11 से 21 का 1/2 हिस्सा की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 11 ता 21 कि ओर से पेश काउण्टर कलैम में अधिवक्ता ने बताया कि गांव लोहावट विश्नावास में कास्त भूमि ख.न. 145 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा स्थित है जो प्रतिवादीगण 11 से 21 की पीढ़ियो से निरन्तर पैतृक चली आ रही है जिसकी खातेदारी का पट्टा राजमारवाड़ के समय तारीख 21.02.1943 व समत् 1999 से भैरा, पेमा, बाबू पिसरान हजारी 1/2 गणेश पुत्र मोती 1/2 जाति दायमा ब्राह्मण के नाम का बना हुआ है। प्रतिवादीगण 11 से 21 गांव लोहावट विश्नावास की कास्त भूमि ख.न. 145 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि के खातेदार कृषक है उनका नाम सम्वत् 2012 में विधि विरूद्ध हटाया गया था जिसे दुरूस्त करवा कर वे उक्त भूमि के खातेदार कृषक 1/2 हिस्सा की घोषित करवाने के हकदार है जिसके लिये यह काउण्टर कलैम पेश है।

पेशी दिनांक 26/09/2018 को तनकीयात कायम कि गई। पेशी दिनांक 08.01.2019 को पी.डब्ल्यू. 01 ओमप्रकाश पुत्र प्रेमराज व पी.डब्ल्यू. 02 बाबूलाल उर्फ श्रीकिशन पुत्र हजारीराम के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल मिसल किये गए। वादी अधिवक्ता ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते थे इसलिए वादी साक्ष्य बंद कर दिए गए व प्रत्रावली को वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु रखा गया। पेशी दिनांक 20.02.2018 को प्रत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य हेतु पेश हुई। प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

साक्ष्य डी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल पुत्र सांवलाराम, डी.डब्ल्यू 02 सोहनलाल पुत्र पुखराज व डी.डब्ल्यू 03 ओमशिव पुत्र नारायणराम के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते थे इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर दिए गए व प्रत्रावली को वास्ते बहस रखा गया।

पेशी दिनांक 13.05.2019 को वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस सुनाई गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ईएक्सपी. 02 खतौनी मौजा लोहावट जोधपुर सरकार सम्वत् 1999 में वादी सं. 01 का नाम वादीगण सं. 2 ता 4 के पिता प्रेमराज का नाम दर्ज हुआ। वादी अधिवक्ता ने बताया की वादग्रस्त जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण की पीढ़ियों से पैतृक है जिसमें वादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा, वादीगण सं. 2 ता 4 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 11 ता 21 हिस्सा है व इसी माफिक इनका कदीमी कब्जा काश्त है।

पेशी दिनांक 27.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 11 से 21 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस सुनाई गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी अपनी बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा बताए गए तथ्यों को स्वीकार किया कि वादग्रस्त जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण की पीढ़ियों से पैतृक है जिसमें वादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा, वादीगण सं. 2 ता 4 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 11 ता 21 का 1/2 हिस्सा है व इसी माफिक इनका कदीमी कब्जा काश्त है। वादगीण एवं प्रतिवादीगण के बयानत् व बहस के आधार पर वदग्रस्त भूमि पक्षकारान की पीढ़ियों से होना साबित है।

वादीगण का वाद अभिवचन, प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया गया व उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा कि गई बहस पर मनन के बाद वादी वाद स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

वादी का वाद स्वीकार कर ग्राम लोहावट विश्नावस तहसील लोहावट में खेत खसरा नं. 145 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि में वादी सं. 01 को 1/6 हिस्से का, वादीगण सं. 2 ता 4 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण सं. 11 ता 21 को 1/2 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार लोहावट तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण एवं अमल दरामद की कार्यवाही करें डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 27/5/19 को मेरे निर्देशन में टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी

Scanned by CamScanner